न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 74/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/134)

1. बंशी पुत्र राधेश्याम उर्फ कालूराम, जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम झांझरवाला उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सैंथल, तहसील दौसा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 24.09.2021 उनवानी अपील बंशी बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी गई अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित–

1. **श्री आलोक जैन, वकील अपीलान्ट**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. की ओर से।**

निर्णय

दिनांक –20.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 24.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 09.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा की आराजी भूमि खसरा नं0 1 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2077 में गोबर डहरा से अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.11.2020 तथा जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 24.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 09.11.2020 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 24.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलान्ट के अपील के तथ्यों व अपीलान्ट के अधिवक्ता के तर्कों पर कोई विचार नहीं किया तथा उप तहसीलदार की पत्रावली का भी भली प्रकार से अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि अपीलार्थी का वादग्रस्त उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, और न कभी रहा है। उन्होनें कभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है बिना किसी आधार के उन्हें पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये ही आज्ञा पारित कर दी गई है। उक्त तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज करते हुये अपीलार्थी को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कथन किया था कि उप–तहसीलदार सैंथल द्वारा अपीलान्ट को हैरान पेरशान करने के उद्देश्य से साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं समझा जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि पर अपना कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 24.09.2021 व उप तहसीलदार सैंथल तहसील दौसा का निर्णय दिनांक 09.11.2020 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा की आराजी भूमि खसरा नं0 1 रकबा 0.01 है0 किस्म चरागाह पर संवत 2077 में गोबर डहरा से अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 09.11.2020 को बेदखली, पैनल्टी एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के

 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में राजकीय चारागाह भूमि पर गोबर डहरा कर अतिक्रमण करना व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी अंकित किया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट के पिता को दिनांक 27.10.2020 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने संवत 2077 ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा की आराजी भूमि खसरा नं0 1 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2077 में गोबर डहरा से अतिचार कर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण हटा लेने की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है जिससे जाहिर होता है कि अतिक्रमण किया गया था तथा कानून राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में त्रुटि नहीं होने के कारण उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है एवं अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर